

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 1]

भोपाल, मंगलवार, दिनांक 3 जनवरी 2017—पौष 13, शक 1938

किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 3 जनवरी 2017

क्र. डी-15-81-2016-चौदह-3.—मध्यप्रदेश कृषि उपज मण्डी अधिनियम, 1972 (24, सन् 1973) की धारा 5 की उपधारा (2) के खण्ड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा, मध्यभारत कृषि उपज मण्डी विधान संवत् 2009 (क्रमांक 17 सन् 1952) की धारा 31 के अधीन जारी की गई अधिसूचना क्रमांक 145/13, दिनांक 9 जून, 1952 द्वारा स्थापित कृषि उपज मंडी समिति शिवपुरी, जिला शिवपुरी के मंडी क्षेत्र के निम्नलिखित संरचना, अहाता, खुला स्थान या परिक्षेत्र को नवीन मंडी प्रांगण घोषित करती है:—

स्थान

ग्राम पिपरसमा, ग्राम पंचायत पिपरसमा, तहसील शिवपुरी, जिला शिवपुरी के निम्नलिखित खसरा क्रमांक की 10.000 हेक्टर (24.71 एकड़) भूमि का क्षेत्र:—

क्रमांक (1)	सर्वे क्रमांक (2)	क्षेत्रफल (हेक्टर में) (3)
1	108	10.000
		योग . . . 10.000

जिसकी सीमाएं

उत्तर में—सड़क मार्ग.

दक्षिण में—शिवपुरी टोगरा मार्ग.

पूर्व में—सर्वे क्रमांक 108 की शेष भूमि.

पश्चिम में—भूमि स्वामियों के खाते की जमीन.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

अजय गुप्ता, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 3 जनवरी 2017

क्र. डी-15-81-2016-चौदह-3.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 3 जनवरी 2017 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अजय गुप्ता, उपसचिव.

Bhopal, the 3rd January 2017

No. D-15-81-2016-XIV-3.—In exercise of the powers conferred by clause (a) of sub-section (2) of Section 5 of the Madhya Pradesh Krishi Upaj Mandi Adhiniyam, 1972 (No. 24 of 1973), the State Government here by declare the following area's including all structures, enclosure, open places or locality in the market area for which a market at Shivpuri, District Shivpuri has been established by the Eratwhile State of Madhya Bharat Agricultural Produce Markets Act Samvat 2009 (No. 17 of 1952) issued under section 31 of the Notification No. 145/13, dated 9th June 1952 shall be Navin market yard namely:—

PLACE

An area of 10.000 Hectore's land of below mentioned Khasra number at Gram Piparsama, Gram Panchayat Piparsama in Tehsil Shivpuri of District Shivpuri:—

S. No. (1)	Survey No. (2)	Area (In Hector) (3)
1	108	10.000
Total . .		10.000

BOUNDED BY

- On the North by**—Way of Road.
On the South by—Way of Shivpuri-Tpgra.
On the East by—Erest Land of Survey No. 108.
On the West by—Land of Owners.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
AJAY GUPTA, Dy. Secy.

भोपाल, दिनांक 3 जनवरी 2017

क्र. डी-15-81-2016-चौदह-3.—मध्यप्रदेश कृषि उपज मंडी अधिनियम, 1972 (24 सन् 1973) की धारा 5 की उपधारा (2) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा, मध्यभारत कृषि उपज मण्डी विधान संवत् 2009 (क्रमांक 17 सन् 1952) की धारा 31 के अधीन जारी की गई अधिसूचना क्रमांक 145/13, दिनांक 9 जून, 1952 द्वारा स्थापित कृषि उपज मंडी समिति शिवपुरी, जिला शिवपुरी के मंडी क्षेत्र के निम्नलिखित संरचना, अहाता, खुला स्थान या परिक्षेत्र को नवीन मंडी क्षेत्र घोषित करती है:—

क्षेत्र

- (1) ग्राम पिपरसमा, ग्राम पंचायत पिपरसमा, तहसील शिवपुरी, जिला शिवपुरी की सीमाओं के भीतर का क्षेत्र.
(2) मंडी प्रांगण से 5 किलो मीटर की परिधि के भीतर आने वाले निम्नलिखित ग्रामों को समाविष्ट करता हुआ क्षेत्र:—

- (1) शिवपुरी नगरपालिका, (2) नोहरी कला, (3) रातौरा, (4) ईटमां, (5) मजरा, (6) पिपरसमा.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अजय गुप्ता, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 3 जनवरी 2017

क्र. डी-15-81-2016-चौदह-3.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 3 जनवरी 2017 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अजय गुप्ता, उपसचिव.

Bhopal, the 3rd January 2017

No. D-15-81-2016-XIV-3.—In exercise of the powers conferred by Clause (b) of sub-section (2) of Section 5 of the Madhya Pradesh Krishi Upaj Mandi Adhiniyam, 1972 (No. 24 of 1973), the State Government here by declare that in the relation to the market yard vide this department's notification even Number, dated . . . January 2017 the following area of Shivpuri of Distirct Shivpuri shall be Navin market area:—

AREA

- (1) An area within the limit of Gram Piparsama, Gram Panchayat Piparsama in Tehsil Shivpuri of District Shivpuri.
- (2) An area comprising of the following villages within the radius of 5 Kilometers from the mark yard namely:—
 - (1) Shivpuri Nagarpalika, (2) Nohri Kala, (3) Ratoura, (4) Itma, (5) Majra, (6) Piparsama.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
AJAY GUPTA, Dy. Secy.